नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरत्न कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

एन सी एल
NCL

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

ककरी परियोजना / Kakri Project

CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company
पोस्ट- ककरी, जिला- सोनभद्र, उ.प्र., पिन 231224/ Post- Kakri, Distt- Sonbhadra, U.P. PIN-231224
Phone: 05446- 278094, (FAX) 05446-278375 email: gmkak.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रांक: ककरी / महाप्रबंधक / वन / 2019 / 160 दिनाँक: 10 / 09 / 2019

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,
सोनभद्र।

विषय: रेनूकूट वन प्रभाग अंतर्गत नॉर्दन कोल फील्ड्स लि. की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तांतरित 185.84 हे. वन भूमि लीज के ऑन लाइन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या – एफ़पी/यूपी/एमआईएन/29061/2017 के संबंध में।

संदर्भ : आपके पत्रांक 321/रेणुकूट/15-38 दिनांक 23.07.2019 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ क्षेत्र का पत्रांक 167/11-सी-FP/UP/Min/29061/2017 दिनांक 22.07.2019

महोदय,

महाशय को उपयुर्क्त विषय तथा संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के ऑनलाइन व हार्डकापी में ककरी परियोजना द्वारा निम्नलिखित कमियाँ का परियोजना स्तर से संशोधन कर दिया गया है: -

क्र० सं०	कमियाँ	संशोधन
2.	भूमि की भू-गरभिय संरचना का भूगर्भ शास्त्री का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	भू-गरभिय संरचना का विवरण प्रस्ताव में संलग्नक 31 (पृष्ठ क्र० 101) के रूप में संलग्न किया गया है।
3.	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से संबन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र में एन०पी०वी० की दर त्रुटिपूर्वक है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग 2 में अपलोड करे।	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्नक 18 (पृष्ठ क्र० 58) के रूप में संलग्न कर दिया गाया है।
4.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्वक वृक्षारोपना योजना संबन्धित अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है, जबकि भारत सरकार की नवीनतम गइडलाइन के चैप्टर 2 के पारा-	ककरी परियोजना से प्रभावित वन भूमि 185.84 हे० के बदले पूर्व में हरदोई में उपलब्ध कराई गयी 189.836 हे० गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण

	2.4 (iv) में "Provisions of CA will be applicable for renewal of mining lease, including the area broken up prior to 25.10.1980, if the same was not applied earlier." का उल्लेख है। अतः प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि का क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन् संलग्न ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि सहित अपलोड करे।	कार्य पूर्ण कराया जा चुका हैं जिसकी पुष्टि व विवरण के लिए प्रभागीय निदेशक, वन प्रभाग, हरदोई के पत्रांक 566/ककरी दिनांक अगस्त 4, 1992 को हार्डकापी में संलग्नक 7 (पृष्ठ सं० 20) के रूप में संलग्न किया गया हैं। ककरी परियोजना ने 25.10.1980 से पूर्व वन भूमि में कोई भी खनन कार्य नहीं प्रारम्भ किया था चूंकि ककरी परियोजन द्वारा भूमि का अधिग्रहण 25.10.1980 के बाद किया गया है जिसका विवरण एवं शासनादेश को हार्डकापी में संलग्नक 20 (पृष्ठ सं० 72) में संलग्न किया गया है।
5.	उपरोक्त बिन्दु 4 के अनुसार क्षतिपूर्वक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप के रंगीन मानचित्र सनग्न कर ऑनलाइन भाग 2 में अपलोड करे।	चूंकि ककरी परियोजना ने पूर्व में ही ककरी परियोजना से प्रभावित 185.84 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा 25.10.1980 से पहले ककरी परियोजना ने वन भूमि पर खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया था इसीलिए ककरी क्षेत्र पर दोबारा क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण के प्रावधान लागू नहीं होते है।
6.	उपरोक्त बिन्दु 4 के अनुसार क्षतिपूर्वक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo-referenced Digital Map सनग्न कर ऑनलाइन भाग 2 में अपलोड करे।	चूंकि ककरी परियोजना ने पूर्व में ही ककरी परियोजना से प्रभावित 185.84 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा 25.10.1980 से पहले ककरी परियोजना ने वन भूमि पर खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया था इसीलिए ककरी क्षेत्र पर दोबारा क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण के प्रावधान लागू नहीं होते है।
7.	क्षतिपूर्वक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग 2 में अपलोड करे।	चूंकि ककरी परियोजना ने पूर्व में ही ककरी परियोजना से प्रभावित 185.84 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा 25.10.1980 से पहले ककरी परियोजना ने वन भूमि पर खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया था इसीलिए ककरी क्षेत्र पर दोबारा क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण के प्रावधान लागू नहीं होते है।
8.	एन०पी०वी० एवं एन०पी०वी० की धनराशि में बढ़ोतरी के उपरांत बढ़ी धनराशि जमा किए जाने की वचंबद्धता जो प्रभागिए वनधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग 2 में अपलोड करे।	संशोधित एन०पी०वी० प्रमाण पत्र प्रस्ताव में में संलग्नक 06 (पृष्ठ क्र० 18) के रूप में संलग्न कर दिया गाया है।
9.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र मूल में संलग्न नहीं है तथा जिला स्तरिए समिति पारित मूल प्रस्ताव भी संलग्न नहीं किया गया है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्र प्रस्ताव की हार्डकापी में संलग्न कर दिया गया है। साथ ही जिला स्तरिए समिति पारित प्रस्ताव भी संलग्न कर दिया गया है।

10.	मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	मुख्य वन संरक्षक, मिर्ज़ापुर द्वारा ककरी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण 13.08.2019 को कर लिया गया है।
11.	हार्डकापी भाग 1 व ऑनलाइन भाग 1 में परियोजना की लागत भिन्न भिन्न है। अतः एक समान लागत अंकित करे।	हार्डकापी भाग 1 व ऑनलाइन भाग 1 में एक समान लागत अंकित कर दी गयी है।
12.	हार्डकापी भाग 2 व ऑनलाइन भाग 2 में क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण योजन से संबन्धित विवरण अंकित नहीं किया गया है।	चूंकि ककरी परियोजना ने पूर्व में ही ककरी परियोजना से प्रभावित 185.84 हे॰ वन भूमि के बदले क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा 25.10.1980 से पहले ककरी परियोजना ने वन भूमि पर खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया था इसीलिए ककरी क्षेत्र पर दोबारा क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण के प्रावधान लागू नहीं होते है।
14.	ऑनलाइन भाग 1 में रोजगार का विवरण एवं प्रस्ताव के पृष्ठ सं॰ 57 पर संलग्न रोजगार विवरण में भिन्नता है। अतः एक समान रोजगार का विवरण फीड करे।	ऑनलाइन भाग 1 व एवं प्रस्ताव के पृष्ठ सं॰ 57 पर संलग्न रोजगार विवरण में एक समान विवरण अंकित कर दिया गया है।
15.	प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व में लीज की शर्तो के अनुसार वर्ष 2012-13 से अब तक लीज रेंट की धनराशि नहीं जमा किया गया है, जोकि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रकरण मा॰ उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारधीन है। यदि प्रकरण में मा॰ उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश पारित किया गया है, तो उसका पालन सुनिश्चित करे अन्यथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की दिशा में दोशी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भारत सरकार, नयी दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-एफ़॰सी॰, दिनांक 29.01.2019 के अनुसार कार्यवाही करते हुये उससे संबन्धित अभिलेख संलग्न करे।	उक्त प्रकरण में मा॰ उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी तक कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस॰एल॰पी॰ संख्या 22793/2013 उ॰प्र॰ राज्य व अन्य बनाम एन॰सी॰एल॰ में भविष्य में जो अंतिम निर्णय होगा उसका अनुपालन किया जाएगा।

इस पत्र के साथ आपके कार्यालय को प्रस्ताव की 03 कापियाँ उक्त संशोधन के साथ प्रेषित की जा रही है जिसमे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्र भी संलग्न है। यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

महाप्रबंधक
ककरी परियोजना